

The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Act, 2023

Act No. 10 of 2023

Kev	wo	rds	•

Arrears, Case, Order of Settlement, Relief

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छन्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 मई 2023 — वैशाख 14, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 मई 2023

क्र. 5741/डी. 54/21—अ/प्रारू./छ.ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 23—04—2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 10 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023.

विषय सूची

खण्ड		विवरण
1.		संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2.		परिभाषार्ये
3.		अधिकारी.
4.	7.	पदनामित समिति का गठन.
5.		निपटान हेतु पात्रता.
6.		आवेदन प्रस्तुत करने का प्ररूप एवं रीति.
7.		उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय से अपील प्रत्याहरण का साक्ष्य.
8.	· · ·	निपटान आदेश जारी करना.
9.		आदेश अथवा सूचनापत्र की तामिली.
10.		निपटान राशि का निर्धारण.
11.		सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की गई राशि का समायोजन एवं बकाया
		कर, ब्याज एवं शास्ति, यदि कोई हो, का निपटान.
12.		भुगतान करने का प्ररूप एवं रीति.
13.		निपटान प्रमाण पत्र जारी करना.
14.	1	अपील.
15,		त्रुटियों का परिशोधन.
16.	m .	निपटान हेतु निर्वधन एवं शर्ते.
17.		निपटान आदेश का प्रतिसंहरण.
18.		प्रतिदाय.
19.		निपटान किये गये प्रकरण को पुनर्जीवित करने हेतु वर्जन.
20.		परिसीमा अवधि
21.		अधिकारियों का संरक्षण.
22,		किनाईयों के निराकरण की शक्ति.
23.		नियम बनाने की शक्ति.
24.		इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव.
		अनुसूची.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 10 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023.

छत्तीसगढ़ राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित छत्तीसगढ़ सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क. 2 सन् 1959), छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क. 5 सन् 1995), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क. 74 सन् 1956), छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005), छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क. 52 सन् 1976), छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क. 16 सन् 1995) और छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क. 13 सन् 1988) तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिये कमशः इसमें इसके पश्चात् दर्शाये जाने के प्रयोजन के लिये विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत उद्ग्रहित, देय या अधिरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति के बकाया के निपटान के लिये एवं उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संक्षिप्त नाम,
 अधिनियम, 2023 कहलायेगा।
 विस्तार तथा प्रारंम.
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
 - (3) इस अधिनियम के प्रावधान उस तिथि से प्रवृत्त होंगे, जिसको कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।
- 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-

परिभाषार्थे.

- (क) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है आयुक्त;
- (ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो आवेदन करने हेतु पात्र हो तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसा आवेदन प्रस्तुत करता हो;

- (ग) "आवेदन" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत आवेदन;
- (घ) ''बकाया' से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अविध के लिये ऐसे कर और/या ब्याज और/या शास्ति की राशि, जो यथास्थिति,—
 - (एक) सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत् किसी सांविधिक आदेश के अनुसार निर्धारिती द्वारा देय राशि; अथवा
 - (दो) सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत स्व— निर्धारण विवरण पत्र में देय होना स्वीकृत और जिसका कि पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से भुगतान नहीं किया गया हो; अथवा
 - (तीन) छत्तीसगढ़ मूल्य सर्वार्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) की धारा 41 के अनुसार प्रस्तुत किये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन में अवधारित एवं देय होना अनुशंसित; अथवा
 - (चार) सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में जारी किसी सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट; अथवा
 - (पांच) जहां सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के संबंध में कोई सूचना पत्र जारी न हुआ हो और ऐसे कर और / या ब्याज और / या शास्ति का बकाया विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित हो, निर्धारिती द्वारा देय होना अवधारित; अथवा
 - (छः) ऐसी राशि, जिसका सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश के अनुपालन में निर्धारित नहीं किया गया हो, जो ऐसे आदेश के पारित नहीं होने पर, निर्धारित किया गया होता:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित को बकाया के रुप में बरता नहीं जायेगा:-

- (एक) सुसंगत अधिनियम के अधीन संग्रहित कर की राशि;
- (दो) सुसंगत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण पत्र अथवा पुनरीक्षित विवरण पत्र में दर्शित देय कर या ब्याज की राशि:
- (तीन) सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अधीन समपहृत की गई राशि;
- (चार) सुसंगत अधिनियम के अधीन स्त्रोत पर काटी गई कर (टीडीएस) की राशि;
- (पांच) सुसंगत अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के किसी भी चरण में आवेदक द्वारा भुगतान किये जाने हेतु स्वीकार किये गये कर और/या ब्याज और/या शास्ति की राशि;
- (ड.) ''निर्घारिती'' से अभिप्रेत हैं ऐसे व्यवसायी (व्यापारी) अथवा कोई व्यक्ति, जो सुसंगत अधिनियमों के अधीन निर्घारित, स्व—निर्घारित या पुर्निनर्घारित कर के भुगतान के लिये दायित्वाधीन हो और/या अधिरोपित या संगणित व्याज और/या शास्ति के भुगतान के लिये दायित्वाधीन हो;
- (च) "प्रकरण" से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशिष्ट व्यापारी या व्यक्ति के लिये किसी विशिष्ट कालखण्ड हेतु ऐसे कर निर्धारण, स्व-कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या शास्ति या अन्य कार्यवाही, जिसके कारण व्यवसायी अथवा

- किसी व्यक्ति पर कर और/या व्याज और/या शास्ति बकाया
- (छ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी, जिसे छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन वाणिज्यिक कर आयुक्त, नियुक्त किया गया हो;
- (ज) "पदनामित समिति" से अभिप्रेत है धारा 4 में निर्दिष्ट समिति;
- (झ) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियमों के द्वारा विहित प्ररूप;
- (ञ) ''माल और सेवा कर अधिनियम' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क. 7 सन् 2017);
- (c) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
- (ठ) "निपटान आदेश", से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर और/या ब्याज और/या शास्ति के निपटान हेतु जारी आदेश;
- (ड) ''व्यक्ति'' से अभिप्रेत है,-
 - (एक) कोई व्यष्टि ;
 - (दो) कोई हिन्दु अविभक्त कुटुम्बः
 - (तीन) कोई कंप्रनी;
 - (चार) कोई सोसाइटी;
 - (पांच) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;
- (छः) कोई फर्म;
 - (सात) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं;
 - (आठ) शासन, केन्द्र शासन अथवा कोई अन्य राज्यं शासन अथवा उनके उपक्रम अथवा उनके विभाग;

- (नौ) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क. 7 सन् 2017) की धारा 2 की उप–धारा (69) के अंतर्गत यथा परिभाषित स्थानीय प्राधिकारी;
- (दस) इस अधिनियम की धारा 2 की उप—धारा (1) के खण्ड (ङ) में यथा परिभाषित निर्धारिती;
- (ग्यारह) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) की धारा 2 के खण्ड (छ) में यथा परिभाषित व्यापारी;
- (ढ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित;
- (ण) "सुसंगत अधिनियम" से अभिप्रेत है दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूर्व प्रचलित निम्नलिखित अधिनियम, जो बकाया कर और/या ब्याज और/या शास्ति के संबंध में प्रयोज्य हों, अर्थात्:--
 - (एक) छत्तीसगढ़ सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क. 2 सन् 1959);
 - (दो) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क. 5 सन् 1995);
 - (तीन) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क. 74 सन् 1956);
 - (चार) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005):
 - (पांच) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क. 52 सन् 1976);
 - (छ:) छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तु पर कर अधिनियम, 1988 (क. 13 सन् 1988);

- (सात) छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क. 16 सन् 1995);
- (त) "अनुतोष" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अनुदत्त अनुतोष;
- (थ) "निपटान प्रमाण पत्र" से अभिप्रेत है धारा 13 के अंतर्गत जारी किया गया प्रमाण पत्र;
- (द) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची;
- (ध) "निपटान राशि" से अभिप्रेत है ऐसी राशि, जो पदनामित समिति द्वारा अनुसूची—क एवं इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार इसके निपटान आदेश में अनुतोष की गणना उपरांत अवधारित की गई हो;
- (न) "विनिर्दिष्ट कालखण्ड" से अभिप्रेत है 30 जून, 2017 को अथवा उसके पूर्व का कोई कालखण्ड;
- (प) "स्व-कर निर्धारण" से अभिप्रेत है किसी निर्धारिती द्वारा सुसंगत
 अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत प्रस्तुत विवरण पत्र या
 पुनरीक्षित विवरण पत्र, जिसे सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत
 विनिर्दिष्ट अविध के लिए स्वीकार किया गया हो एवं कर
 निर्धारण किया गया समझा गया हो;
- (फ) "सांविधिक आदेश" से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत पारित कोई आदेश।
- (2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वहीं अर्थ होंगे, जैसा कि सुसंगत अधिनियमों में उनके लिये कमशः समनुदेशित है।

अधिकारी.

इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों के पदनाम का अर्थ वही होगा, जो कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) की धारा 3 में उनके लिये कमशः समनुदेशित है। 4. एक पदनामित समिति होगी, जिसका गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

पदनामित समिति का गठन.

5. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कोई व्यक्ति, चाहे वह सुसंगत अधिनियमों के अधीन पंजीकृत हो अथवा नहीं, विनिर्दिष्ट कालखण्ड से संबंधित कर और/या ब्याज और/या शिस्त की बकाया के निपटान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगा, चाहे सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत ऐसी बकाया किसी अपील, पुनरीक्षण अथवा किसी विधि न्यायालय में न्यायाधीन हो अथवा नहीं।

निपटान हेतु पात्रता.

- (2) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) की धारा 25 की उप—धारा (7) के अधीन किश्तों में मुगतान हेतु अनुज्ञात किया गया हो, वह भी यथा विहित रीति से निपटान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगा।
- (3) ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 का लामार्थी रहा हो, वह भी यथा विहित रीति से इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगा।
- (4) पदनामित समिति, ऐसे आवेदन के परीक्षण पर, कोई भिन्नता अथवा त्रुटि पाती है, तो ऐसे आवेदन को, इस अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष हेतु अपात्र मान्य किया जायेगा।
- इस अधिनियम के अधीन आवेदन ऐसी रीति में एवं ऐसे प्ररूप में एवं ऐसी अवधि के लिए, प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए:

आवेदन प्रस्तुत करने का प्ररूप एवं रीति.

परंतु शासन, अधिसूचना द्वारा, आवैदन प्रस्तुत करने की अवधि को विस्तारित कर सकेगा।

er entido de la implicação de se

उच्च न्यायांलय अथवा सर्वोच्च न्यायालय से अपील प्रत्याहरण का साक्ष्य. उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय या वाणिज्यिक कर अधिकरण या अपीलीय प्राधिकारी, यथारिथिति, के समक्ष सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत दायर अपील, रिट याचिका अथवा संदर्भ के प्रत्याहरण का साक्ष्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत निःशर्त रूप से होगा एवं धारा 6 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के लिये पूर्व—अपेक्षा के रूप में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

निपटान आदेश जारी करना.

8.

9,

(1) पदनामित समिति, आवेदन का सत्यापन करने के पश्चात् और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से विहित अविध के भीतर, विहित प्ररुप में, निपटान राशि विनिर्दिष्ट करते हुये, निपटान आदेश जारी करेगी:

परन्तु यदि पदनामित समिति, ऐसे आवेदन पत्र के विशिष्टियों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् आवेदन को अनुपयुक्त पाती है, तो आवेदन को आदेश द्वारा ऐसी अवधि के भीतर निरस्त करेगी, जैसा कि विहित किया जाये।

(2) आवेदक, निपटान आदेश में यथा विनिर्दिष्ट निपटान राशि का भुगतान, ऐसे आदेश के जारी किये जाने के 15 दिवस के भीतर करेगा ।

आदेश अथवा सूचनापत्र की तामिली. आदेश अथवा सूचनापत्र, आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये ई—मेल पते या पंजीकृत डाक के द्वारा तामिल किया जा सकेगा। ई—मेल के माध्यम से तामिल किये जाने पर, ई—मेल प्रेषण की तारीख, सूचना की प्राप्ति की तारीख होगी।

निपटान राशि का निर्घारण. 10. इस अधिनियम के अंतर्गत निपटान राशि की संगणना, अनुसूची—क एवं इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

- 11. (1) सुसंगत अधिनियम अथवा इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी,—
 - (क) यथास्थिति, किसी सांविधिक आदेश के संबंध में किये गये कोई भुगतान अथवा अपील में किये गये कोई भुगतान अथवा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी अंतिरम आदेश के संबंध में किए गए कोई भुगतान, जो विहित तिथि को या उसके पूर्व किया गया हो, को ऐसे बकाया कर, ब्याज या शास्ति में कमशः समायोजित की जायेगी, जैसा कि पदनामित समिति के द्वारा इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित किया जाये:

परंतु यदि उपरोक्त पैरा में यथा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किया गया कोई भुगतान, ऐसी निपटान राशि से अधिक है, जैसा कि इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार पदनामित समिति द्वारा अवधारित किया जाये, तो वापसी का दावा नहीं किया जायेगा या वापिसी अनुज्ञात नहीं की जायेगी:

परंतु यह और कि खण्ड (क) के अधीन समायोजन के लिए अनुपात का अवधारण पदनामित समिति द्वारा की जाएगी।

- (ख) इस अधिनियम के अधीन उन बकाया कर और/या ब्याज और/या शास्ति, यदि कोई हो, का निपटान नहीं किया जायेगा, जिन प्रकरणों में विहित तिथि के पश्चात् सांविधिक आदेश पारित किया गया हो।
- (2) उप–धारा (1) के खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट तिथि को, शासन द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से, विस्तारित किया जा सकेगा।

सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की गई राशि का समायोजन एवं बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति, यदि कोई हो, का निपटान. भुगतान करने का प्ररूप एवं रीति. 12. निपटान राशि का भुगतान ऐसे प्ररुप में तथा ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए:

परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत किस्त सुविधा के माध्यम से निपटान की राशि के भुगतान हेतु कोई भी व्यक्ति पात्र नहीं होगा।

निपटान प्रमाणपत्र जारी करना.

13.

(1) पदनामित समिति, संतुष्ट हो जाने पर कि, आवेदक ने उसके द्वारा अवधारित की गई राशि का संपूर्ण भुगतान कर दिया है एवं ऐसे भुगतान का सबूत जमा कर दिया है, तो निपटान प्रमाणपत्र ऐसी रीति में एवं ऐसे प्ररूप में एवं ऐसी अवधि के भीतर, जारी किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।

- (2) उप—धारा (1) के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत देय निपटान राशि के संबंध में, जारी प्रत्येक निपटान प्रमाणपत्र, उसमें उल्लिखित विषयों एवं कालखण्डों हेतु निश्चायक होगा एवं,—
 - (क) निपटान प्रमाणपन्न में आविष्ट विषय एवं कालखण्ड से संबंधित अन्य कोई कर और/या ब्याज और/या शास्ति के भुगतान हेतु आवेदक उत्तरदायी नहीं होगा;
 - (ख) निपटान प्रमाण पत्र में आविष्ट विषय एवं कालखण्ड से संबंधित प्रकरणों में सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को अभियोजित नहीं किया जायेगा;
 - (ग) सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत, निपटान प्रमाणपत्र में आविष्ट विषयों एवं कालखण्ड के संबंध में, किसी कार्यवाही में कोई प्रकरण पुर्नसंस्थित नहीं की जायेगी।
- (3) निपटान प्रमाण पत्र में विषय एवं कालखण्ड, जो आविष्ट नहीं है, के संबंध में सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी अथवा जारी रहेगी।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, ऐसे मामलों में निपटान प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा, जिसमें पदनामित समिति, धारा 8 की उप—धारा (2) के अनुक्रम में भुगतान की गई राशि को निपटान आदेश में उल्लिखित राशि से कम पाती है:

परन्तु यह कि आवेदक द्वारा जमा की गई ऐसी राशि को समपहृत समझा जायेगा और सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर और/या ब्याज और/या शास्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

14. पदनामित समिति द्वारा धारा ८ की उप-धारा (1) के अधीन जारी आदेश के विरूद्ध, ऐसे आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर, आयुक्त, वाणिज्यिक कर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। अपील के लिये आवेदन प्रस्तुत होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर, आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जायेगा तथा आदेश जारी किया जाएगा।

त्रुटियों का

परिशोधन.

अपील.

15. निपटान आदेश में, ऐसे गणनात्मक अथवा लिपिकीय त्रुटि, जो अभिलेख को देखने से स्पष्ट हो, को आवेदक द्वारा इंगित किये जाने पर अथवा स्वप्रेरणा से, पदनामित समिति, निपटान आदेश के जारी किये जाने की तिथि से 30 दिवस के भीतर, परिशोधित कर सकेगी।

निपटान हेतु निर्बंधन एवं शर्ते.

- 16. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की गई कोई राशि,—
 - (क) सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत आगत कर छूट के माध्यम से भुगतान नहीं की जाएगी;
 - (ख) किसी भी परिस्थिति में प्रतिदाय प्रदान नहीं किया जाएगा;
 - (ग) सुसंगत अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत,— (एक) आगत कर छूट या प्रत्यय के रूप में नहीं ली जा सकेगी;

या

- (दो) कोई व्यक्ति, आगत कर छूट या प्रत्यय लेने का हकदीर नहीं होगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा, यदि सुसंगत अधिनियम के अधीन प्रत्यय सेट ऑफ लिया गया हो तथा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क. 7 सन् 2017) के अधीन उसके इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर में उक्त क्रेडिट दर्शित हो, जब तक कि राशि के समतुल्य केडिट का, जिसके लिये निपटान आवेदन प्रस्तुत किया गया है, इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रानिक केश लेजर में डेबिट करके, निपटान आवेदन के प्रस्तुत करने की तिथि को या उसके पूर्व, विर्पय न किया गया हो।
- (3) सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकरण, जिसमें छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण एवं पुनरीक्षण प्राधिकरण शामिल है, विनिर्दिष्ट कोलखंड से संबंधित एक अथवा एक से अधिक विवाद्यकों अथवा सभी विवाद्यकों के संबंध में एवं उस सीमा तक, जिसके लिए आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत किसी अपील या पुनरीक्षण का विनिश्चय करने हेतु तब तक अग्रसर नहीं होंगे, जब तक कि ऐसा आवेदन, पदनामित समिति एवं आयुक्त द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता है।
- (4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, सुसंगत अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकरण सहित किसी अन्य अधिकारी, उन विवाद्यकों की सीमा तक, जिनके लिए आवेदक द्वारा निपटान हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही करने हेतु अग्रसर हो सकेंगे।

17. (1) धारा 13 की उप—धारा (2) एवं धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहां पदनामित समिति को यह प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निपटान का लाभ प्राप्त करने में, किन्हीं तात्विक सूचना अथवा विशिष्टियों का अवक्रमण करते हुये अथवा कोई त्रुटिपूर्ण या मिथ्या सूचना प्रस्तुत करते हुए, सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही से संबंधित विशिष्टियों

को छिपाई गई है, तो पदनामित समिति, कारणों को लेखबद्ध करते

हुए एवं आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के

पश्चात्, निपटान आदेश की तिथि से 1 वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के अंतर्गत जारी उक्त निपटान आदेश को प्रतिसंहरित कर सकेगी। यदि कोई निपटान आदेश उप-धारा (1) के अधीन प्रतिसंहरित होता (2) है, तो सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत यथास्थिति, कर निर्धारण, पुनरीक्षण, अपील या अन्य कोई कार्यवाही, जो कि उस निपटान आदेश के अन्तर्गत आविष्ट था, धारा 13 की उप-धारा (2) एवं धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यथास्थिति, ऐसे प्रतिसंहरण तथा ऐसे कर निर्धारण, पुनरीक्षण, अपील अथवा अन्य कोई कार्यवाही, तत्काल पुनर्जीवित अथवा पुनःसंस्थापित हो जायेगी एवं सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में जारी एवं विनिश्चत की जायेगी मानों कि बकाया कर और/या ब्याज और/या शास्ति का कोई निपटान आदेश कभी पारित ही नहीं हुआ है तथा स्संगत अधिनियम के अधीन प्रावधानित सीमा अवधि के होते हुये भी. यथास्थिति, ऐसे कर निर्धारण, पुनरीक्षण या अपील के प्रकरणों का निर्वर्तन, ऐसे प्रतिसंहरण आदेश के पारित दिनांक से 1 वर्ष के भीतर. संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

to reason policy which by artist is favored a

निपटान आदेश का प्रतिसंहरण. प्रतिदाय.

18. कोई आवेदक किन्ही भी परिस्थितियों में इस अधिनियम के अधीन भुगतान की गई राशि के प्रतिदाय हेतु पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह कि धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार निपटान आदेश के प्रतिसंहरित होने की स्थिति में, इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि को, सुसंगत अधिनियम के अधीन किया गया भुगतान समझा जायेगा।

निपटान किये गये

प्रकरण को

पुनर्जीवित करने हेतु

वर्जन

19.

20.

इस अधिनियम के अधीन जारी निपटान आदेश, उन बकाया कर और/या ब्याज और/या शास्ति के निपटान के संबंध में, जो कि उस आदेश में आविष्ट हो, निश्चायक होंगे तथा कोई भी मामले, जो ऐसे निपटान आदेश में आविष्ट है, को सुसंगत अधिनियमों के अधीन किसी भी अन्य कार्यवाही हेतु पुर्नजीवित नहीं किया जाएगा।

परिसीमा अवधि.

(1) परिसीमा अधिनियम, 1963 (क. 36 सन् 1963) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी भी आवेदन को, इस अधिनियम के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये विहित समयाविध की समाप्ति के

पश्चात स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- (2) इस अधिनियम के अधीन परिसीमा के संबंध में किसी विसंगति का विनिर्धारण, आयुक्त के द्वारा किया जायेगा एवं आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
- (3) इस अधिनियम के अधीन परिसीमा अविध ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाए।

अधिकारियों का 21. संरक्षण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध, इस अधिनियम के अथवा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने के लिये आशयित किसी भी कार्य के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होंगी।

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई 22. उद्भूत होती है, तो राज्य शासन, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों के निराकरण करने के प्रयोजन के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों नियम बनाने की 23. को कियान्वित करने हेतु नियम बना सकेगा ।

इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम के अतिरिक्त सुसंगत इस अधिनियम का 24. अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य विधि अध्यारोही प्रमाव. के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुये भी, प्रभावी होंगे।

अनुसूची—क (धारा 10 देखिये) इसं अधिनियम के अंतर्गत निपटान राशि का निर्धारण

स. क्र.	मानदण्ड	मुगतान की जाने वाली राशि का प्रतिशत	अनुतोष का प्रतिशत
1.	सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर के संबंध में जहां ऐसे कर की राशि रू 50 लाख या उससे अधिक हैं।	60%	40%
2.	मुसंगत अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर के संबंध में जहां ऐसे कर की राशि रू 50 लाख से कम है।	40%	60%
3.	सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत बकाया ब्याज के संबंध में	10%	90%
4.	सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत बकाया शास्ति के संबंध में	0%	100%

अटल नगर, दिनांक 4 मई 2023

क्र. 5741/डी. 54/21—अ/प्रारु./ छ.ग./23. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 04—05—2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 10 of 2023)

THE CHHATTISGARH SETTLEMENT OF ARREARS OF TAX, INTEREST AND PENALTY ACT, 2023.

INDEX

Section	Particulars			
1.	Short title, extent and commencement.			
2.	Definitions.			
3.	Officers.			
4.	Constitution of designated committee.			
5.	Eligibility for Settlement.			
6.	Form and manner of Application.			
7.	Proof of withdrawal of appeal from High Court			
	Supreme Court.			
8.	Issue of Settlement Order.			
9.	Service of Order or Notice.			
10.	Determination of Settlement amount.			
11.	Adjustment of any payment made under the			
	Relevant Acts and Settlement of arrears of tax,			
	interest and penalty, if any.			
12.	Form and manner of making the payment.			
13.	Issue of Settlement Certificate.			
14.	Appeal.			
15.	Rectification of errors.			
16.	Restrictions and conditions for Settlement.			
17.	Revocation of order of settlement.			
18.	Refund.			
19.	Bar on re-opening of settled cases.			
20.	Limitation of time.			
21.	Protection of officers.			
22.	Powers to remove difficulties.			
23.	Power to make rules.			
24.	Act to have overriding effect.			
	Schedule.			

CHHATTISGARH ACT (No. 10 of 2023)

THE CHHATTISGARH SETTLEMENT OF ARREARS OF TAX, INTEREST AND PENALTY ACT, 2023.

An Act to provide for settlement of arrears of tax, interest and penalty which were levied, payable or imposed, under the Chhattisgarh General Sales Tax Act, 1958 (No.2 of 1959), Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No.5 of 1995), Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956), Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005), Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), Chhattisgarh Professional Tax Act, 1995 (No. 16 of 1995) and the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No.13 of 1988) and for the matters connected therewith or incidental thereto, for the purposes hereinafter appearing, respectively under various Acts administered by the Commercial Tax Department of Chhattisgarh State and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Act, 2023.
- (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

- (3) The provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- 2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

Definitions.

- (a) "Appellate Authority" means the Commissioner;
- (b) "Applicant" means a person who is eligible for application and gives such application under the provisions of this Act;
- (c) "Application" means the application filed under the provisions of this Act;
- (d) "Arrears" means the amount of tax and/or interest and/or penalty, under the Relevant Acts for specified period, as the case may be,-
 - (i) payable by an assessee as per any statutory order under the Relevant Acts; or
 - (ii) admitted in the Self assessment statement filed by an assessee, under the Relevant Acts and which has not been paid either wholly or partly; or
 - (iii) determined and recommended to be payable, in the audit report submitted as per Section 41 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005); or

- (iv) specified in a notice that has been issued, in relation to any proceeding under the Relevant Acts; or
- (v) determined to be payable by the assessee where no notice in relation to any proceeding under the Relevant Acts is issued, and such arrears of tax and/or interest and/or penalty, pertains to specified period; or
- (vi) such amount which is not assessed in pursuance of any interim order of Supreme Court or the High Court which would have been assessed, had such order been not passed:

Provided that the following shall not be treated as arrears for the purposes of this Act:-

- (i) the amount of taxes collected under the Relevant Acts;
- (ii) the amount of taxes or interest shown payable in the return or revised return under the Relevant Acts;
- (iii) the amount forfeited under the provisions of Relevant Acts;
- (iv) the amount of taxes deducted at source (TDS) under the Relevant Acts;

- (v) the amount of taxes and/or interest and/or penalty accepted to be payable by the applicant at any stage of any proceeding under the Relevant Acts or under this Act;
- (e) "Assessee" means a dealer or any person who is liable for payment of tax assessed, self assessed or re-assessed and/or liable for payment of interest and/or penalty imposed or computed under the Relevant Acts;
- (f) "Case" means an assessment, self assessment or re-assessment or penalty or other proceeding under the Relevant Acts for any particular dealer or person for any specified period on the ground of which the dealer or person is in arrear of tax and/or interest and/or penalty;
- (g) "Commissioner" means an officer appointed as the Commissioner of Commercial Tax under sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005);
- (h) "Designated committee" means a committee referred to in Section 4;
- (i) "Form" means Form prescribed by the rules made under this Act.

- (j) "Goods and Services Tax Act" means the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No.7 of 2017);
- (k) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
- "Order of settlement" means an order issued under this Act for settlement of arrears of tax and/or interest and/or penalty;
- (m) "Person" includes,-
 - (i) an individual;
 - (ii) a Hindu undivided family;
 - (iii) a company;
 - (iv) a society;
 - (v) a limited liability partner- ship;
 - (vi) a firm;
 - (vii) an association of persons or body of individuals, whether incorporated or not;
 - (viii)the Government, Central Government or any other State Government or its under taking or its department;
 - (ix) a local authority as defined under sub-section (69) of Section 2 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No.7 of 2017);
 - (x) an assessee as defined in clause (e) of sub-section (1) of Section 2;
 - (xi) a dealer as defined in clause (g) of Section 2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005);

- (n) "Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act.
- (o) "Relevant Act" means the following Act, as applicable in respect of arrears of tax and/or interest and/or penalty prior to the 1st July, 2017, namely:—
 - (i) The Chhattisgarh General Sales Tax Act, 1958 (2 of 1959);
 - (ii) The Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (5 of 1995);
 - (iii) The Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956);
 - (iv) The Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (2 of 2005);
 - (v) The Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (52 of 1976);
 - (vi) The Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (13 of 1988);
 - (vii)The Chhattisgarh Professional Tax Act, 1995 (16 of 1995);
- (p) "Relief" means relief granted as per Section 10 of this Act;
- (q) "Settlement Certificate" means a certificate issued under Section 13;
- (r) "Schedule" means the Schedule appended to this Act;
- (s) "Settlement amount" means such amount as has been determined by the designated committee upon calculation of relief as per Schedule-A and the rules

made under this Act, in its Order of Settlement;

- (t) "**Specified period**" means any period ending on or before the 30th June, 2017;
- (u) "Self-Assessment" means return or revised return furnished by an assessee under the provisions of the relevant Act, which has been accepted and deemed to have been assessed for specified period under the relevant Act.
- (v) "Statutory order" means any order passed under the Relevant Acts.
- (2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Relevant Acts.

Officers.

3. Designation of officers used in this Act shall have the same meanings as respectively assigned to them under Section 3 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Constitution of designated committee.

4. There shall be a designated Committee which shall be constituted in such manner as may be prescribed.

Eligibility for Settlement.

5. (1) Subject to the other provisions of this Act, a person whether registered or not under the Relevant Acts, shall be eligible to make an application for settlement of arrears of tax and/or interest and/or penalty in respect of the specified period, whether such arrears are

- sub-judice in any appeal, revision or any court of law, under the relevant Acts or not.
- (2) Persons who have been allowed to pay in installments under sub-section (7) of Section 25 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) shall be eligible to apply for settlement in the manner as may be prescribed.
- (3) Persons, who have availed benefits under the Chhattisgarh Vanijyik Kar (Bakaya Rashi) Saral Samadhan Yojna, 2010, shall also be eligible to apply under this Act in the manner as may be prescribed.
- (4) The Designated Committee, on examination of such application finds any difference or anomaly, such application shall be held ineligible for relief under this Act.
- 6. The application under this Act may be filed in such manner and in such form and for such period as may be prescribed:

Form and manner of Application.

Provided that, the Government may, by notification, extent the period for filling such application.

7. Proof of withdrawal of appeal or writ petition or reference before a High Court or the Supreme Court or Commercial Tax Tribunal or Appellate Authority, under the relevant Act, as the case may be, under the provision of this Act, shall be un-conditional and shall be furnished by the applicant as a pre-requisite to apply under Section 6.

Proof of
withdrawal of
appeal from
High Court or
Supreme Court.

8. (1) The designated Committee after verification of the application and within the prescribed period, issue an Order of Settlement in

Issue of Settlement Order. prescribed Form specifying settlement amount therein:

Provided that if the designated committee, after due verification of the particulars of application Form, finds the application ineligible, it shall dismiss the application by an order within such period as may be prescribed.

(2) The applicant shall make payment of settlement amount as specified in the Order of Settlement within 15 days of issue of such order.

Service of order or notice.

9.

Order or Notice may be served by E-mail or by registered post provided by the applicant in the application. When it is served by e-mail, the date of service shall be the date of e-mail sent.

Determination of Settlement amount.

10. Settlement amount under this Act shall be calculated as per Schedule-A and provision of this Act and Rules made thereunder.

Adjustment of any payment made under the Relevant Acts and settlement of arrears of tax, interest and penalty, if any.

- **11.** (1) Notwithstanding anything contained in the Relevant Acts or under this Act,
 - any payment made in respect of any (a) statutory order or any payment in appeal or any payment in respect of any interim order of Supreme Court or High Court, as the case may be, on or before the prescribed date, shall be adjusted towards the such arrears of tax, interest and penalty respectively as has been determined by the designated committee in accordance with this Act and rules made thereunder:

Provided that no refund shall be claimed or be allowed if any payment made in circumstances as specified in above para, is in excess of such settlement amount as has been determined by the designated committee in accordance with this Act and rules made thereunder:

Provided further that the ratio for adjustment under clause (a) shall be determined by the designated committee.

- (b) No arrears of tax and/or interest and/or penalty, if any, shall be settled under this Act, in cases where statutory orders are made after the prescribed date.
- (2) The Government may, by notification, extend the date specified in clause (a) and (b) of the sub-section (1).
- 12. The Settlement Amount shall be paid in such Form and in such manner as may be prescribed:

Provided that, no person shall be eligible, for making payment of Settlement amount through installment facility, under this Act.

- 13. (1) The designated committee on being satisfied that the applicant has paid in full the settlement amount as determined by it and on submission of proof of payment, shall issue a settlement certificate in such manner and in such Form and within such period as may be prescribed.
 - (2) Every settlement certificate issued under subsection (1) with respect to the settlement amount payable under this Act shall be conclusive as to the matter and time period stated therein, and,-
 - (a) the applicant shall not be liable to pay any further tax and/or interest and/or penalty

Form and manner of making the payment.

Issue of Settlement Certificate. with respect to the matter and time period covered in the settlement certificate;

- (b) the applicant shall not be prosecuted under the Relevant Acts with respect to the matter and time period covered in the settlement certificate;
- (c) no cases, with respect to the matter and time period covered in the settlement certificate, shall be re-opened in any proceeding under the Relevant Acts.
- (3) Proceedings, with respect to the matter and time period not covered in the settlement certificate, may be initiated or be continued under the provisions of Relevant Acts.
- (4) Notwithstanding anything contained in this Section, settlement certificate shall not be issued in respect of such cases, where the designated committee finds the amount, paid in pursuance of sub-section (2) of Section 8 is less than the amount mentioned in settlement order:

Provided that, such amount deposited by the applicant shall be deemed to be forfeited and shall be adjusted towards arrears of tax and/or interest and/or penalty under the Relevant Acts.

Appeal. 14.

An appeal may be filed before the Commissioner, Commercial Tax against the order of Designated Committee issued under sub-section (1) of Section 8 within 30 days from receipt of such order. The Commissioner shall decide the matter within 30 days from the date of receipt of application for Appeal and issue order.

15. Within 30 days of the date of issue of Order of Settlement, the designated committee may rectify its order only to correct an arithmetical error or clerical error in order of settlement, which is apparent on the face of record, on such error being pointed out by the applicant or suo-moto.

Rectification of errors.

16. (1) Any amount paid under this Act,-

Restrictions and conditions for settlement.

- (a) shall not be paid through the input tax rebate under the Relevant Acts;
- (b) shall not be refundable under any circumstances;
- (c) shall not, under the Relevant Acts or under any other Act,—
 - (i) be taken as input tax rebate or credit; or
 - (ii) entitle any person to take input tax rebate or credit.
- (2) No application submitted by the applicant under this Act shall be entertained if he has taken the credit of set-off under the Relevant Acts and said credit has shown in the Electronic Credit Ledger under Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No.7 of 2017) unless the credit equivalent to the amount for which the settlement application is filed is reversed by debiting the Electronic Credit Ledger or the Electronic Cash Ledger, on or before the date of submission of application for settlement.
- (3) No appellate authority including Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhikaran and Revisional Authority under the Relevant Acts, unless the application is rejected by the designated committee and by the Commissioner, shall

proceed to decide any appeal or revision under the Relevant Acts relating to the specified period, in respect of and to the extent of one or more issues or all the issues for which an application is made by the applicant.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, the appellate authority, revisional authority, tax assessing officer, commercial tax tribunal including any other officer, under the Relevant Acts, may proceed to such assessment, appeal, revision or any other proceeding in accordance with the provisions of Relevant Acts, to the extent of the issues for which no application for settlement is made by the applicant.

Revocation of order of settlement.

- **17.** (1) Notwithstanding anything contained in subsection (2) of Section 13 and Section 19, where it appears to the designated committee that, the Applicant has obtained the benefit of settlement under this Act, by suppressing any material information or particulars or by furnishing any incorrect or false information, concealment of any particulars related to any proceeding under the Relevant Acts, then the designated committee may, for reasons to be recorded in writing and after giving the Applicant, opportunity of being heard, within 1 year from the date of order of the settlement, revoke the said order of settlement issued under this Act.
 - (2) If an order of settlement is revoked under subsection (1), the assessment, revision, appeal or any other proceeding, as the case may be, under the Relevant Acts, covered by such order of settlement, shall, notwithstanding anything contained in sub-section (2) of Section 13 and 19, stand revived or reinstated

immediately upon such revocation, and such assessment, revision, appeal or any other proceeding, as the case may be, shall be continued and decided in accordance with the provisions of the Relevant Acts, as if no order of settlement of the arrears of tax and/or interest and/or penalty has ever been made, and notwithstanding the period of limitation provided under the Relevant Acts, discharge the cases of such assessment, revision or appeal, as the case may be, shall be made by the respective authorities within 1 year from the date of passing the order of such revocation.

18. Under no circumstances, any applicant shall be entitled to get the refund of the amount paid under this Act:

Refund.

Provided that, in case of revocation of an order of settlement, in accordance with the provisions of Section 17, the amount paid by the applicant under the Act, shall be treated to have been paid under the Relevant Acts.

19. An order of settlement issued under this Act shall be conclusive as to the settlement of arrears of tax and/or interest and/or penalty covered under that order and the matter covered by such order of settlement shall not be re-opened in any proceeding under the Relevant Acts.

Bar on reopening of settled cases.

20. (1) Notwithstanding anything contained in the Limitation Act, 1963 (No. 36 of 1963), no application shall be entertained after expiry of limitation of time prescribed for submitting the application under this Act.

Limitation of time.

- (2) Any discrepancy in relation to limitation of time under this Act shall be determined by the Commissioner and the decision of the Commissioner shall be final.
- (3) Limitation of time under this Act shall be such as may be prescribed.

Protection of 21. officers.

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no suit or prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government for anything which is done or intended to be done in good faith, in pursuance of this Act or any rule made there under.

Power to remove difficulties.

22.

24.

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order, remove such difficulty, not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

Power to make 23. rules.

The State Government may, by notification, in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Act to have overriding effect.

The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Relevant Acts and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by the virtue of any law other than this Act.

SCHEDULE-A

(See Section 10)

DETERMINATION OF SETTLEMENT AMOUNT UNDER THE ACT

S. No.	Criteria	Percentage of amount payable	Percentage of relief
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	In respect of Arrears of Tax which is equal to or more than Rs. 50 lacs under the Relevant Act	60%	40%
2.	In respect of Arrears of Tax which is less than Rs. 50 lacs under the Relevant Act	40%	60%
3.	In respect of Arrears of interest under the Relevant Act	10%	90%
4.	In respect of Arrears of penalty under the Relevant Act	0%	100%